संख्या-50/2024/।/664822/2024/001-71-2099-82-2023

प्रेषक,

श्रीप्रकाश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी में 01 नग लीनियर एक्सेलरेटर की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या -एमई/पर्चेज/2024-25/23, दिनांक 12.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी में 01 नग लीनियर एक्सेलरेटर की स्थापना हेतु नई मांग से प्राप्त धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 3163.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजी पक्ष में 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 93- होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी में 01 नग लीनियर एक्सेलरेटर की स्थापना, 26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में धनराशि रू0 3163.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. **वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी।**
2. **प्रस्तावित उपकरणों के क्रय से पूर्व उनकी स्थापना हेतु आवश्यक स्थान, मानव संसाधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। आपूर्ति के उपरान्त तत्काल उपकरणों को स्थापित कराकर क्रियाशील किया जायेगा।**
3. **उपकरणों के क्रय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।**
4. **जिन उपकरणों के स्पेसिफिकेशन निर्धारित कर दिये गये हैं, तदनुसार ही उनकी कार्यवाही की जायेगी तथा संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।**
5. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचाकिताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।**
6. **स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।**
7. **स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।**
8. **प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक, उपादेयता/प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी स्पेसिफिकेशन तय करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान/वित्त नियंत्रक/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।**
9. **वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।**
10. **दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त अधिकारी द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियॉ (Technical Specification) का यथासम्भव समावेश किया जाये।**
11. **संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
12. **संस्थान द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक संस्थान/वित्त नियंत्रक/ विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।
14. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
15. उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।
16. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
17. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
18. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।
19. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,63,38,000 (रुपये इकतीस करोड़ तिरेसठ लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031059300 होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र वाराणसी में 01 नग लीनियर एक्सेलरेटर की स्थापना मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-3-16/दस-2024-25, दिनांक- 28.05.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-50/2024/664822/2024/001-71-2099-82-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
(5) वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी ।
(6) निदेशक, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी ।
(7) वित्त ई-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।